न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2019/00261 दायरा दिनांक : 04.12.2019

उनवान

राधेश्याम आयु 48 वर्ष पुत्र श्री बंशीलाल, जाति नाथ, निवासी बरावदी, तहसील अटरू, जिला बारां हाल म. नं. 22–ए, महावीर नगर प्रथम, कोटा जिला कोटा (राज.)

.... अपीलांट

बनाम

1– राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलेक्टर महोदय, बारां, जिला बारां (राज.)

2– राजस्थान सरकार भूमिधारी जर्ये तहसीलदार अटरू, तहसील अटरू, जिला बारां (राज.)

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री हरीओम चतुर्वेदी अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री संदीप सक्सैना, नायब तहसीलदार पैरोकार सरकार की ओर से

निर्णय दिनांक : 06.08.2024

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू के प्रकरण संख्या – 193/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 15.05.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 36 एल.आर.एक्ट पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम बरावदी, तहसील अटरू, जिला बारां में पुराना खसरा नं. 170 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा (साढे सात बीघा) आराजी हीरालाल पुत्र नेनगा, जाति गूर्जर, निवासी बरावदी से जर्ये रजिस्टर्ड बेनामा दिनांक 25.06.1991 को 33000/– रूपये में खरीद कर कब्जा संभाल लिया था। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 15.05.2018 को वादी का वाद खारिज किया, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू ने अपीलांट को उक्त वाद में न्याय आपके द्वार राजस्व केम्प कुण्डी, तहसील अटरू में दिनांक 15.05.2018 को उपस्थित होने बाबत दी गई सूचना पर अपीलांट राजस्व कैम्प कूण्डी में उपस्थित हुआ। कैम्प में पत्रावली पर अपीलांट के हस्ताक्षर करवाकर अपीलांट से यह कहा कि आप जाओ तारीख पेशी बाद में मालुम कर लेना। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व कैम्प कूण्डी में उक्त वाद का विचारण किये बिना, बिना

6/8/2024
(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

तनकी बनाये एवं साक्ष्य लिये अपीलांट को सुनवायी का अवसर दिये बिना राजस्व कैम्प में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद को निरस्त कर दिया, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकिया विधि एवं काश्तकारी कानून के नियमों एवं प्रावधानों व सिद्धांतों के विरूद्ध राजस्व कैम्प जो कि पक्षकारों के मध्य आपसी समझौते से मुकदमों के निस्तारण करने का एक मंच है राजस्व लोक अदालतों की भावना, सिद्धांतों से परे जाकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अवहेलना कर पत्रावली में मौजूद तथ्यों एवं राजस्व दस्तावेंजातों को अनदेखा कर अपीलांट का वाद निरस्त करने में विधि एवं तथ्य की भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी के वाद को इस आधार पर खारिज कर दिया कि अपीलांट की बन्दोबस्त विभाग द्वारा कम की गई आराजी को चारागाह में दर्ज किया है। ''भूमि की किस्म चारागाह है जो प्रतिबन्धित भूमि होने से अपीलांट के खाते दर्ज किया जाना संभव नहीं होना मानकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद को डिक्री दिनांक 15.05.2018 से खारिज किया है।'' उक्त निर्णय व डिक्री अवैधानिक होने से यथावत रहने योग्य नहीं है। रेस्पोडेंटगण ने सैटलमेंट विभाग द्वारा बन्दोबस्त के दौरान अपीलांट की आराजी का रकबा 0.51 हेक्टर कम कर नवीन खसरा नं. 515 रकबा 0.59 हेक्टर आराजियात चारागाह दर्ज कर राजस्व रिकार्ड के इन्द्राज में फेरबदल किया है जिसे रेस्पोडेंटगण ने अपने जवाब में स्वीकार किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत जवाब को अनदेखा कर निर्णय व डिक्री पारित की है जो अवैधानिक होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.05.2018 अपास्त किया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 27.11.2019 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि सेटलमेंट के दौरान हमारी जमीन कम कर दी गयी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तनकी कायम किए तथा बिना सुनवाई के निर्णय पारित कर दिया गया। अतः हमे सुनवाई का अवसर दिया जावे। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त कर प्रकरण रिमाण्ड किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने सही एवं विधिसम्मत् निर्णय पारित किया। अतः अपील खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे।

6/8/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। न्यायहित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वाद सेटलमेंट विभाग की गलती को दुरूस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया। तहसीलदार द्वारा जवाब पेश कर कथन किया कि वादी द्वारा क्रय की गयी भूमि का रकबा 1.20 हेक्टर बनता है रिकार्ड में 0.69 हेक्टर दर्ज होने से रकबा 0.51 हेक्टर कम कर दिया गया जिसकी दुरूस्ती ख. नं. 515 रकबा 0.49 हेक्टर में से चाहता है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद चरागाह भूमि प्रतिबंधित भूमि होने से खारिज किया गया। वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में सेटलमेंट से पूर्व तथा पश्चात् का नक्शा पेश नहीं किया तथा ना ही स्पष्ट रूप से यह प्रमाणित किया गया कि ख. नं. 515 रकबा 0.49 हेक्टर वादी के पूर्व खसरा नम्बर से बना है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा चरागाह को प्रतिबंधित भूमि बताना भी विधिसम्मत है। वादी अधीनस्थ न्यायालय में अपना वाद प्रथम दृष्टया साबित करने में असफल रहने तथा चरागाह भूमि धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित होने से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत होने से यथावत रखा जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.05.2018 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6/8/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix G'9)
अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

राधेश्याम आयु 48 वर्ष पुत्र श्री बंशीलाल, जाति नाथ, निवासी बरावदी, तहसील अटरू, जिला बारां हाल म. नं. 22–ए, महावीर नगर प्रथम, कोटा जिला कोटा (राज.)

अपीलांट्स

बनाम

1– राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलेक्टर महोदय, बारां, जिला बारां (राज.)
2– राजस्थान सरकार भूमिधारी जर्ये तहसीलदार अटरू, तहसील अटरू, जिला बारां (राज.)

रेस्पोडेंट्स

अपील नं **2019 / 00261**
मु.द.नं0 **193 / 2016**

एवं नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी ,अटरू**
निर्णय व डिक्री दिनांक – **15.05.2018**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **10 माह 07** सन् **2024**

श्री **हरीओम चतुर्वेदी** अभिभाषक अपीलांट की ओर से, श्री **संदीप सक्सैना**, नायब तहसीलदार पैरोकार सरकार की ओर से

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.05.2018 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **06 माह 08 सन् 2024** को जारी किया गया ।

मोहर

6/8/2024
(ममता कुमारी तिवारी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)